<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या–निगरानी/एल.आर./2563/2004/पाली</u>

1.सज्जनसिंह पुत्र गुमानसिंह

2.राजेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह मृतक जरिये वारिसान–

2/1.रूपकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह

3.विजयसिंह पुत्र गुमानसिंह

4.गुलाब कंवर पुत्री गुमानसिंह मृतक जरिये वारिसान–

4/1अभिमन्यु सिंह

4/2.अभिषेक सिंह पुत्रगण चन्दनसिंह

4/3.चन्दनसिंह पुत्र रणजीतसिंह(पति)

5.हवनकंवर बेवा गुमानसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली

–प्रार्थीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली

2.प्रेमकंवर पुत्री गुमानसिंह

3.हिम्मत कंवर पुत्री गुमानसिंह

दोनों जाति राजपूत निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली

–अप्रार्थीगण

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार सदस्य

उपस्थित –

श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उपराजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 06.10.2021

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–2 व 3 की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 81 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर सहायक भू–प्रबन्ध एवं सहायक भू–अभिलेख अधिकारी, जोधपुर मुकाम खुडाला के आदेश दिनांक 29–11–1976 की पालना एवं क्रियान्विति को स्थगित करने एवं ग्राम खुडाला स्थित आराजी खसरा नम्बर 311/1897 रकबा 2.75हैक्टयर की मौके की यथास्थिति अग्रिम आदेश तक रखे जाने का अनुतोष चाहा गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 15–6–2004 से विवादित आराजी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 23–6–2004 तक बनाये रखने का आदेश पारित किया। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण को हिदायत दी गयी कि विवादित भूमि से सम्बन्धित पुराने एवं वर्तमान रिकार्ड की नकले आगामी तारीख पेशी को प्रस्तुत करने अन्यथा स्थगन आदेश की अवधि को आगे नहीं बढाया जावेगा, का आदेश पारित किया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 23–6–2004 को पुरानी जमाबन्दी की नकले अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किये जाने पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता निगराकार का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–6–2004 को स्थगन प्रार्थनापत्र पर खसरा नम्बर 311/1897 रकबा 2.75हैक्टयर के बारे में आगामी पेशी तक यथास्थिति का आदेश दिया गया था और वादग्रस्त सम्पत्ति के पुराने एवं वर्तमान रिकार्ड की नकलें पेश करने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के क्रम में प्रार्थी द्वारा नक्शा, खसरा परिवर्तनशील व जमाबन्दी सम्वत् 2060–63 की नकलें पेश कर दी थी लेकिन पुरानी जमाबन्दी की नकल नहीं मिलने के कारण पेश नहीं की जा सकी ओर उस पर उक्त

स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2004 से अब तक इस प्रकरण में माननीय मण्डल द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है। इसलिए स्थगन आदेश जारी रखा जावे। केवल मात्र नकलें पेश नहीं करने के आधार पर स्थगन आदेश निरस्त करना विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि स्थगन आदेश दिनांक 15-06-2004 अन्तरिम आदेश था और सशर्त जारी किया गया था। उन शर्तो की पालना नहीं होने पर उक्त आदेश विड्रो किया गया था। दोनों ही आदेश अन्तरिम आदेश है और अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं होती है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में निगराकारान सज्जनसिंह वगैराह की ओर से सहायक भू-प्रबन्ध एवं सहायक भू-अभिलेख अधिकारी, जोधपुर मुकाम खुडाला के आदेश दिनांक 29-11-1976 की पालना एवं क्रियान्विति स्थगन के बारे में यह निगरानी पेश की थी कि खसरा नम्बर 311/1897 रकबा 2.75हैक्टयर मौजा खुडाला की अग्रिम आदेश तक कायम रखी जावे। गुमानसिंह के नाम खसरा नम्बर 357 जिसके नये खसरा नम्बर 311/1897 रकबा 2.75हैक्टयर के टिनेन्ट खातेदार गुमानसिंह था और मृतक गुमानसिंह के वारिसान प्रार्थीगण है। आदेश दिनांक 29-11-1976 के द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया और जमीन कम कर दी और न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सुनते हुए उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश 15-6-2004 को सशर्त पारित किया था कि **''वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित पुराना एवं वर्तमान रिकार्ड की नकले आगामी तारीख पेशी दिनांक 23-6-2004 को आवश्यक रूप से पेश करें अन्यथा स्थगन आदेश की अवधि को आगे नहीं बढाया जावेगा।''** प्रार्थी द्वारा दिनांक 23-6-2004 को पुरानी जमाबन्दी की नकले पेश

नहीं की अर्थात् आदेश की शर्तो की पालना नहीं की। जो आदेश सशर्त था, उसकी पालना करना प्रार्थी का कर्तव्य एवं विधिक दायित्व था जिसकी पूर्ति नहीं की गयी है। उक्त आदेश पूर्णतयाः अन्तरिम आदेश था और इस ओदश के विरूद्ध धारा 84–ए भू–राजस्व अधिनियम के तहत निगरानी पोषणीय नहीं है। कोई भी प्रार्थी न्यायालय में किसी अनुतोष के लिए आवेदन करता है और न्यायालय न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए कोई भी आदेश पारित करता है, उस आदेश की पालना करने का प्रार्थी का कर्तव्य है। यदि वह एक बार स्थगन आदेश प्राप्त करके उस आदेश की पालना नहीं करता है तो न्यायालय अपने आदेश की शर्तो को भंग करने की स्थिति में पूर्व पारित किये गये आदेश को बदलने, अपास्त करने, संशोधन करने का पूर्ण अधिकार रखता है और मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23–6–2004 में कोई अवैधता व अनियमितता नहीं है और ना ही यह आदेश अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है। अतः प्रार्थी निगराकार की यह निगरानी खारिज किये जाने येाग्य है और खारिज की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि प्रकरण 2004 से लम्बित है अतः पत्रावली प्राप्ति से एक माह के भीतर इस प्रकरण का निस्तारण करें। पक्षकारान दिनांक 21–10–2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। आदेश की प्रति सहित रिकार्ड सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य